न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील प्र0सं0 14/24 दायरा दिनांक 04.09.2024

1. शिवचरण उम्र 64 वर्ष पुत्र भोजा जाति काछी निवासी टाण्डा काछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. कौंसा उम्र 46 वर्ष पुत्री भोजा पत्नि नारायण जाति काछी निवासी टाण्डा काछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अपीलाण्टस

बनाम

1. शिवराम पुत्र जसराम जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. सत्तू पुत्र जसराम जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. धनिया पुत्री जसराम पत्नि दौलत जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –फोत

   3/1–कल्ला पुत्र दौलत जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   3/2– छोटू पुत्र दौलत जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   3/3–गुलाब पुत्री दौलत जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   3/4–जीजीबाई पुत्री दौलत जाति काछी निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. शक्करिया पुत्री जसराम जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. सोनो पुत्री जसराम जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6. विष्णु पुत्र ऊकार जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
7. मुन्नी पुत्री ऊकार पत्नि बुद्धू जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान फोत

   7/1–नरेश पुत्र बुद्धू जाति काछी निवासी पुरेनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   7/2–धीरन पुत्र बुद्धू जाति काछी निवासी पुरेनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   7/3–प्रदीप पुत्र बुद्धू जाति काछी निवासी पुरेनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   7/4–धन्तीबाई पुत्री बुद्धू पत्नि रामदयाल जाति काछी हाल निवासी गंगापुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

   7/5–रीना पुत्री बुद्धू पत्नि जाति काछी [illegible] निवासी वीलमपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

8. गंगाराम पुत्र सोमा जाति काछी निवासी ग्राम टांडाकाछीयान तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
9. गया पुत्री सोमा पत्नि चिरोंजी जाति काछी निवासी हाल हरियानगर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
10. नारानी पुत्री अर्जुन पत्नि सरवन जाति काछी निवासी हाल पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
11. गब्बो पुत्री अर्जुन पत्नि मोहनलाल जाति काछी निवासी हाल हरियानगर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
12. वतिया पुत्री अर्जुन पत्नि कल्लू जाति काछी निवासी हाल पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
13. ग्राम पंचायत बमनगवां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध फौती नामान्तरकरण नम्बर 15 दिनांक 24.12.1978 ग्राम बूढी तहसील शाहाबाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय–दिनांक 21.03.2025

उपस्थित–

अपीलाण्ट की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बूढी पटवार हल्का सन्दोकडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में आराजी ख0नं0 35 रकबा 15.12 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पो. कम 1 लगायत 12 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है। उक्त आराजी के मूलखातेदार गनपत पुत्र चतरा कोम काछी साकिन टाण्डाकाछीयान रहे हैं, जिनके नाम उक्त आराजी दर्ज रिकार्ड रही है। मूलखातेदार गनपत की मृत्यु के समय गनपत के पुत्र जसराम ऊंकार सोमा, मृत पुत्र अर्जुन की पुत्रियां–वतिया गब्बो नारानी पत्नि–मानो तथा मृत पुत्र भोजा के पुत्र–शिवचरण पुत्री–कौंशा तथा पत्नि गनेशी मौजूद थे, जिनके नाम विरासत प्रश्नगत नामान्तरण के कालम नंबर 16 में अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट में तथा कालम नंबर 11 वारिसान में मौजूदा वारिसान के रूप में दर्ज किये गये हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर सर्वथा विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरण आदेश पारित कर गनपत के स्थान पर पुत्र–ऊंकार जसराम सोमा तथा मृत पुत्र अर्जुन की वारिसान पुत्रियां–वतिया गब्बो नारानी के नाम दर्ज कर दिये और बाद में हिस्सा 1/2 वतिया गब्बो नारानी के नाम तथा हिस्सा 1/2 ऊंकार जसराम सोमा के नाम दर्ज कर दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरण आदेश पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है। विधि विरूद्व नामान्तरण का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2031–... के समय राजस्व कर्मियों ने इन्द्राज इस प्रकार कर दिया कि ... गनपत के बजाय ऊंकार जसराम सोमा पि. गनपत व वतिया गब्बो ... मानो वेवा अर्जुन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

हि.ब. से दर्ज हुये।" और रोटेशन जमाबंदी संवत 2035–38 में ऊंकार जसराम सोमा पि. गनपत 1/2 नारानी गब्बो वतिया पुत्री अर्जुन काछी हि. 1/2 हि.ब. से दर्ज कर दिया। तभी से उक्त आराजी इसी प्रकार दर्ज चली आ रही है। बाद में जसराम के स्थान पर रेस्पो. क्रम 1 लगायत 5, ऊंकार के स्थान पर रेस्पो. क्रम 6 व 7 का नाम तथा सोमा के स्थान पर रेस्पो. क्रम 8 व 9 के नाम दर्ज किये गये हैं, जो गलत हैं। मूलखातेदार गनपत की मृत्यु के समय गनपत के पुत्र–जसराम ऊंकार सोमा, मृत पुत्र अर्जुन के वारिसान वतिया गब्बो नारानी पुत्रियां अर्जुन मानो पत्नि अर्जुन तथा मृत पुत्र भोजा के वारिसान अपीलाण्टस शिवचरण पुत्र, काशी पुत्री गनेशी वेवा भोजा मौजूद थे, जो समभाग से विरासत के हकदार थे और इसी अनुसार गनपत की विरासत दर्ज किये जाने योग्य थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा दर्ज वारिसान को पूरी तरह इगनोर कर मनमाना आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. क्रम 3 धनिया तथा 7 मुन्नी की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान रेस्पो. क्रम 3/1 ता 3/4 व 7/1 ता 7/5 को पक्षकार संयोजित कर अपील पेश है। के.सी.सी. बनवाने हेतु दिनांक 01.08.2024 को हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर अपीलाण्टस को प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्व प्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी दिन हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। अपील का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य वजुहात वक्त वहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर मृत खातेदार गनपत पुत्र चतरा कोम काछी साकिन टाण्डाकाछीयान की विरासत बावत तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरण नम्बर 15 आदेश दिनांक 24.12.1978 ग्राम बूढी पटवार हल्का सन्दोकडा तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक खातेदार गनपत के स्थान पर अपीलान्टस के नाम हिस्सा 1/5, रेस्पो. क्रम 1 ता 5 के नाम हिस्सा 1/5, रेस्पो. क्रम 6 व 7 के नाम हिस्सा 1/5, रेस्पो. क्रम 8 व 9 के नाम हिस्सा 1/5 एवं रेस्पो. क्रम 10 ता 12 के नाम हिस्सा 1/5 से विरासत नामान्तरण दर्ज किये जाने बावत सादर आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोर्डेण्टस की तलबी की गई। रेस्पो. के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न पत्रावली नकल नामान्तरकरण नंबर 15 ग्राम बूढी के कालम नंबर 11 तथा 16 में मृत खातेदार गनपत पुत्र चतरा काछी के स्थान पर ऊंकार जसराम सोमा पि. गनपत बतिया गब्बो नारानी पुत्री अर्जुन मानो वेवा अर्जुन शिवचरण पुत्र भोजा काशी पुत्री भोजा मु.गनेशी वेवा भोजा के नाम दर्ज किये गये हैं, इसके बावजूद पारित नामान्तरण आदेश में शिवचरण पुत्र भोजा काशी पुत्री भोजा मु.गनेशी वेवा भोजा का नाम दर्ज नहीं किये गये है तथा हिस्से भी गलत दर्ज होना पाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

10/3/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 15 ग्राम बूढी दिनांक 24.12.1978 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार गनपत पुत्र चतरा काछी निवासी टांडा तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

21.3.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner